

## उपायुक्त कार्यालय, जीन्द नागरिक अधिकार पत्र

एवं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत धारा 4(1) (B) की सूचना का प्रकाशन

नागरिक अधिकार पत्र

संयुक्त पंजाब में जीन्द जिला संगरूर जिला का उप-मण्डल था। 1 नवम्बर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया है और इसके साथ ही जीन्द भी जिला के रूप में हरियाणा के नक्शे पर आया और तब से उपायुक्त/जिलाधीश कार्यालय सुचारू रूप में कार्य कर रहा है। पश्चिमी यमुना नहर की हांसी ब्रांच इस जिले से होकर गुजरती है इसके अतिरिक्त नरवाना उप-मण्डल में भाखड़ा मेन लाईन की शाखा से सिंचाई होती है। इस जिले में तीन उप-मण्डल, चार तहसील, तीन उप-तहसील है। यहां की भूमि काफी उपजाऊ है। जिले के निवासी शांतिप्रिय तथा धार्मिक है। जिले के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस जिले से प्रशासनिक व सुरक्षा सेवाओं में कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत है। जिले के लोगो के कष्टों व शिकायतों का निपटान समय-2 पर सुचारू रूप से किया जाता रहा है और लोगो को अपने विभिन्न कार्यों हेतू न तो अधिक दूर जाना पड़ता है और न ही परेशानी उठानी पड़ती है।

### उपायुक्त एवं जिलाधीश कार्यालय

हरियाणा राज्य के गठन दिवस दिनांक 01.11.1966 से ही उपायुक्त/जिलाधीश का कार्यालय अस्तित्व में है। इस कार्यालय में उपायुक्त महोदय व अन्य कर्मचारियों का जनता के प्रति सदैव व्यवहार अच्छा रहा है व कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठीक है। जनता के कार्य इस कार्यालय में नियमानुसार निर्धारित समय पर कर दिये जाते है। इसके अतिरिक्त जिले में स्थित अन्य कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर यह निगरानी रखता है, तथा लोगो को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना भी प्रमुख कार्य है।

### सूचना अधिकार एक्ट 2005 के अर्न्तगत धारा 4(1) (B) की सूचनाओं का प्रकाशन

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत धारा 4(1) (B) के अर्न्तगत उपायुक्त कार्यालय की कार्य प्रणाली बारे आम जनता को सूचित किया जा रहा है कि इस कार्यालय में जनता के कार्य करने व जनता की कठिनाईयों को दूर करने हेतू भिन्न-2 शाखाएं कार्यरत है तथा प्रत्येक शाखा पृथक-2 से भिन्न-2 प्रकार के मामले निपटाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

उपायुक्त कार्यालय से सम्बन्धित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क करें।

1. राज्य जन सूचना अधिकारी	नगराधीश, जीन्द	दूरभाष नं० 01681-245692
2. राज्य जन सूचना अधिकारी	जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द	दूरभाष नं० 01681-245206
3. राज्य जन सूचना अधिकारी	जिला विकास एवम पचायत अधिकारी, जीन्द	दूरभाष नं० 01681-245582
4. सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक	दूरभाष नं० 01681-246827
5. सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी	सहायक अधीक्षक राजस्व	दूरभाष नं० 01681-245206
6. सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी	सहायक अधीक्षक ( पचायत )	दूरभाष नं० 01681-245582
7. प्रथम अपीलैट अथोरिटी	उपायुक्त, जीन्द	दूरभाष नं० 01681-245252
		246818
		246820
		246822

सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना निर्धारित समय में उपलब्ध करवा दी जायेगी।

उपायुक्त, जीन्द ।

क्रं0 सं0	कार्य गतिविधि / योजना / योजना का विवरण / नाम	कार्य के लिए आवश्यक दस्तावेज	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समय में कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जानी है उसका पद व नाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
<b>(1) पासपोर्ट व शस्त्र लाईसैन्स शाखा, कार्यभारी अधिकारी, नगराधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692</b>						
1	नये शस्त्र लाईसैन्स बनवाने बारे।	1. प्रार्थना पत्र फार्म ए 2. पुलिस रिपोर्ट का फार्म 3. चालान फार्म 4. शपथ पत्र 5. स्थाई पते बारे राशन कार्ड की फोटो प्रति 6. होमगार्ड का शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र  नये शस्त्र लाईसैन्स की फीस की सूचि एन0पी0बी0 रिवाल्वर एण्ड पिस्टल 100 रू0 /- प्रत्येक एन0पी0बी0राईफल 60 रू0 12 बोर डी0बी0बी0एल0 40 रू0	जिलाधीश	पुलिस विभाग से सरकार की नई हिदायत अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर-2 नया शस्त्र लाईसैन्स प्रदान कर दिया जाता है।	जिलाधीश / नगराधीश	एक सप्ताह के अन्दर-2
2	पी0 बोर शस्त्र लाईसैन्स का नवीकरण करने बारे	1. प्रार्थना पत्र 2. फार्म शस्त्र पोजेशन सर्टिफिकेट 3. चालान फार्म 4. राशन कार्ड या पहचान पत्र की फोटो प्रति  <u>नवीकरण फीस से सम्बन्धित</u> <u>सूचि</u>	जिलाधीश	पुलिस विभाग से सरकार की नई हिदायत अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर-2 शस्त्र लाईसैन्स नवीकरण कर दिया जाता	जिलाधीश / नगराधीश	एक सप्ताह के अन्दर-2

		1. एन0पी0बी0 रिवाल्वर, पिस्टल 150 रू0 2. एन0पी0बी0 राईफल 90 रू0 12 बोर एन0पी0बी0 बी0एल0 बन्दूक 60 रू0		है।		
3	नया पासपोर्ट/पासपोर्ट /नाबालिग पासपोर्ट से सम्बन्धित कार्य	1. आनलाईन रजिस्ट्रेशन 2. फीस 1000 रू0 फीस तथा 600 रू0 फीस नाबालिग के लिए 3. स्थायी निवास के तीन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां 4. जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति 5. फोटोग्राफ(नाबालिग के लिए)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी / नगराधीश	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अपने आधार पर पुलिस रिपोर्ट आनलाईन करवाई जाती है।	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी	
4	मिट्टी के तेल के स्टोरेज लाईसैंस जारी करने बारे	1. प्रार्थना पत्र 2. प्रस्तावित स्थल के नक्शा की प्रतियां 3. फीस 150 रू. चालान द्वारा	जिलाधीश जीन्द	2 मास	जिलाधीश / नगराधीश	एक सप्ताह
5	मिट्टी के तेल के स्टोरेज / लाईसैंस नवीकरण करना	1. प्रार्थना पत्र 2. फीस 150 रू0 चालान द्वारा	जिलाधीश जीन्द	2 मास	जिलाधीश / नगराधीश	एक सप्ताह
6	आतिशबाजी / पटाखों के बेचने के लाईसैंस जारी करना	1. प्रार्थना पत्र 2. प्रस्तावित स्थल के नक्शा की प्रतियां 3. फीस 150 रू0 चालान द्वारा	जिलाधीश जीन्द	2 माह	जिलाधीश / नगराधीश	एक सप्ताह
<b>(2) फुटकर शाखा, कार्यभारी अधिकारी, नगराधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692</b>						
1	चरित्र सत्यापन नौकरी के लिए	चरित्र सत्यापन की 2 प्रतियां फोटो सहित सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होती है।	जिलाधीश	एस0पी0 व डी0आई0 जी0 सी0आई0डी0 से रिपोर्ट प्राप्त होने	जिलाधीश	एक सप्ताह

				पर 2 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग को भेज दी जाती है।		
2	जलूस, शोभा यात्रा या रामलीला सर्कस आदि की अनुमति	केवल प्रार्थना पत्र	जिलाधीश	एस0पी0, एस0डी0एम0 तथा फायर विभाग से व सम्बन्धित विभाग जिसका स्थान हो से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर दो दिन के अन्दर-2 अनुमति दी जाती है।	जिलाधीश	एक सप्ताह
3	सिनेमा / विडियो लाईसैंस व नवीकरण करने बारे	प्रार्थना पत्र मूल लाईसैंस चालान फीस 900 100 100	जिलाधीश / नगराधीश	डी0ई0टी0सी0, पी0डब्लू0डी0 फायर आफिसर चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपैक्टर तथा जनस्वास्थ्य विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर-2 लाईसैंस नवीकरण कर दिया जाता है।	जिलाधीश	एक सप्ताह
4	विभिन्न बीमारी के ईलाज के लिए अर्थिक सहायता	आवेदन पत्र, शपथ पत्र, राशन कार्ड की प्रति	उपायुक्त / नगराधीश	सम्बन्धित एस0डी0एम0, सिविल सर्जन, से रिपोर्ट प्राप्त होने	उपायुक्त	एक सप्ताह

				के तीन दिन के अन्दर		
<b>(3) पेशी शाखा, उपायुक्त एवं जिलाधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692</b>						
1	पैरोल बारे विभिन्न केसों में जो व्यक्ति सजायाफता होकर भिन्न-2 जेलों में बन्द होते हैं उनकी पैरोल/फरलो पर रिहाई बारे।	1. जमानतनामा का फार्म जो बन्दी के परिजनो को इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 2. जमानतियों के हैसियत प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा सांक्ष्यांकित किये जाते हैं।	जिलाधीश	1. जांच रिपोर्ट भेजने हेतू 21 दिन 2. जमानतनामा भेजने हेतू 3 दिन		
<b>(4) स्थापना शाखा, कार्यभारी अधिकारी, नगराधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692</b>						
1	उपायुक्त, उपमण्डल एवं तहसीलों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी गण के विरुद्ध आम जन की शिकायत	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	एक मास
<b>(5) लाई/माई शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी,, जीन्द- फोन नं0 01681-245206</b>						
1.	मकान निर्माण के ऋण सम्बन्धित शिकायतो का निपटान	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	जिला राजस्व अधिकारी	तीन दिन नोट: अब ऋण नहीं दिया जाता है।	उपायुक्त	एक मास
<b>(6) नजारत शाखा, कार्यभारी अधिकारी, नगराधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692</b>						
1.	मालखाना में मृतक लाईसैंस धारकों के जमा अग्नेय शस्त्र प्राप्त करने/निपटान करने से सम्बन्धित वारसान के आवेदन	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	उपायुक्त /नगराधीश	तीन दिन	जिलाधीश	दो सप्ताह

	पत्रों का निपटान करना।					
2.	कचहरी कम्पाउन्ड में छोड़े गये टेको के ठेकेदार से सम्बन्धित आम जन की शिकायतों का निपटान	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	उपायुक्त/ नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	एक सप्ताह
3.	कचहरी कम्पाउन्ड में बतौर टाईपिस्ट कार्य करने की अनुमति प्रदान करना	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	उपायुक्त/ नगराधीश जीन्द	तीन दिन	उपायुक्त	एक सप्ताह
<b>(7) आर0टी0 आई0 शाखा, कार्यभारी अधिकारी, नगराधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692</b>						
1.	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना प्राप्त करने के आवेदन।	निर्धारित प्रोफार्मा पत्र आवेदन फीस 50 रू0 व बी0पी0एल0 के लिए कोई फीस नहीं है।	नगराधीश, जीन्द	तीस दिन के अन्दर	उपायुक्त	एक माह के अन्दर-2
<b>(8) प्रतिलिपि शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द- फोन नं0 01681-245206</b>						
1.	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना प्राप्त करने के आवेदन।	निर्धारित प्रोफार्मा पत्र आवेदन फीस 50 रू0 व बी0पी0एल0 के लिए कोई फीस नहीं है।	जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द	तीस दिन के अन्दर	उपायुक्त	एक माह के अन्दर-2
2.	नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र	निर्धारित प्रोफार्मा पर एक रू0 की कोर्ट फीस	जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द	एक सप्ताह व तत्काल प्रार्थना पत्र पर चौबीस घण्टे के अन्दर-2 नकल दी जाती है।	जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द /उपायुक्त जीन्द।	अति शीघ्र
3.	भिन्न-2 सिविल	निर्धारित फार्म पर एक रूपये	जिला	सामान्य प्रतिलिपि	जिला राजस्व	2 दिन

	राजस्व न्यायालयों के आदेश निर्णयों एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपियां/कोर्ट फीस 3 रू0 प्रति पृष्ठ	की कोर्ट फीस लगा कर आवेदन फार्म दिया जाता है।	राजस्व अधिकारी जीन्द	5 दिन में आवश्यक प्रतिलिपि 24 घंटे/एक दिन	अधिकारी एवं उपायुक्त	
4.	लम्बित एवं निर्णित इन्तकाल/कोर्ट फीस 25 रू0 प्रति पृष्ठ	—सम—	—सम—	—सम—	—सम—	2 दिन
5.	निशानदेही/कोर्ट फीस तीन रू0 प्रति पेज	—सम—	—सम—	—सम—	—सम—	2 दिन
6.	जमाबन्दी मिसल हकीयत कोर्ट फीस पांच जोट एक प्रति खतौनी 10 रूपये और इससे अधिक प्रति अतिरिक्त जोट 5 रू0	—सम—	—सम—	—सम—	—सम—	2 दिन
7.	खतौनी पैमाईश खतौनी इस्तेमाल 3 रू0 प्रति पृष्ठ	—सम—	—सम—	—सम—	—सम—	2 दिन
8.	खसरा पैमाईश फील्ड सजरा पैमाईश खसरा एवं मुसावी आदि 10 रू0 प्रति 20 खसरा नम्बरो तक और 5 खसरा नम्बरो के प्रति ब्लाक पर 2 रू0	—सम—	—सम—	—सम—	जिला राजस्व अधिकारी एवं उपायुक्त	2 दिन
9.	प्रतिलिपि पर्चा तकसीम 10 रू0 5	निर्धारित फार्म 1 रू0 की कोर्ट फीस पर आवेदन फार्म	जिला राजस्व	सामान्य प्रतिलिपि 5 दिन में	जिला राजस्व अधिकारी	2 दिन



	प्रकृतियों तक इससे अधिक अतिरिक्त प्रति प्रविष्टि पर 2 रू0	दिया जाता है।	अधिकारी	आवश्यक प्रतिलिपि 24 घन्टे में		
10	नक्शाचाहत प्रति कुआं 10 रू0 चाहा	—सम—	जिला राजस्व अधिकारी	—सम—	जिला राजस्व अधिकारी	2 दिन
11	प्रिंटिंग प्रैस/न्यूज पेपर चालू करने बारे।	1. प्रार्थना पत्र 2. शपथ पत्र 3. रिहायशी प्रामाण पत्र/राशनकार्ड	1. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 2. गृह विभाग हरियाणा	सरकार के स्तर पर	जिलाधीश	एक सप्ताह
<b>(9) विकास शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द— फोन नं0 01681-245582</b>						
1	एच्छिक ग्रान्ट	मुख्यमंत्री, मंत्री सांसद तथा अन्य से प्राप्त	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	स्वीकृति प्राप्त होने के एक सप्ताह तक	उपायुक्त	एक सप्ताह
2	चौपाल सबसिडी स्कीम के अर्न्तगत राशि खण्डों में वितरित करना	सम्बन्धित खण्ड अधिकारी द्वारा भेज गया अनुमान पंचायत का प्रस्ताव व नक्शा	उक्त	10 दिन	उपायुक्त	एक सप्ताह
3	खण्डों के भवन निर्माण बारे	सरकार से राशि प्राप्त होने उपरान्त सम्बन्धित कार्य का अनुमान, नक्शा आदि	उक्त	अनुमान से दर्शाई गई अवधि	उपायुक्त	एक सप्ताह
4	खण्डों के वार्षिक निरीक्षण	सहायक द्वारा तैयार करवाया गया निरीक्षण नोट	उक्त	निरीक्षण के एक मास तक	उपायुक्त	एक सप्ताह
5	गैर सरकारी समस्याओं को अनुदान दिलाने बारे	सम्बन्धित विभाग द्वारा भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दस्तावेज	उक्त	एक सप्ताह	उपायुक्त	एक सप्ताह

6	बीडीपीओ व अन्य स्टाफ की गोपनीय रिपोर्ट	गोपनीय रिपोर्ट बारे प्राफोर्मा	उक्त	15 अप्रैल	उपायुक्त	एक सप्ताह
---	--	--------------------------------	------	-----------	----------	-----------

(10) स्थानीय निकाय शाखा, कार्यभारी अधिकारी, नगराधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692						
1.	नगरपालिका / नगर परिषद से सम्बन्धित आम जन की शिकायतों का निपटान	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	दो सप्ताह
2	नगरपालिका / नगरपरिषद के अनुमानित बजट की स्वीकृति प्रदान करना	निर्धारित फार्म पर	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	दो सप्ताह
3	नगरपालिका / नगरपरिषद के कर्मचारियों की ए0सी0पी0, मैरिज लोन सेवा अवधि बढ़ाने बारे स्वीकृति प्रदान करना	निर्धारित कार्यवाही अनुसार	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	दो सप्ताह
4	नगरपरिषद के पारित प्रस्ताव की कार्यवाही का अनुमोदन करना	निर्धारित कार्यवाही अनुसार	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	दो सप्ताह
5	नगरपरिषद के कर्मचारी के मृत्यु उपरान्त उसके परिवार के सदस्यों को अनुदानपूर्वक अनुग्रह राशि वित्तिय सहायता के रूप में अनुकंपा सहायता देने की	निर्धारित कार्यवाही अनुसार	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	दो सप्ताह

	स्वीकृति देना।					
6	नगरपरिषद की भूमि/दुकान को बेचने/किराये पर देने हेतू पालिका के प्रस्ताव उपरान्त सरकार को सिफारिश भेजना	निर्धारित कार्यवाही अनुसार	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	दो सप्ताह
7	नगरपरिषद के आम चुनाव/उप-चुनाव की प्रक्रिया पुरी करना	निर्धारित कार्यवाही अनुसार	नगराधीश	तीन दिन	उपायुक्त	दो सप्ताह

<b>(11) एच0आर0सी0 शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द- फोन नं0 01681-245206</b>						
1.	वर्ष 2000 से पूर्व की पंजीकृत वसीका, वसीयत आदि का निरीक्षण करना	निर्धारित प्रोफार्मा पर दरखास्त	सहायक अधीक्षक/जिला राजस्व अधिकारी	तीन दिन	जिला राजस्व अधिकारी/उपायुक्त	सात दिन
2	वर्ष 2000 से पूर्व की पंजीकृत वसीकाजात की नकल देने	1. 1/रु कोर्ट फीस स्टाम्प के साथ 2. 10/-रु के स्टाम्प पेपर की नकल प्रदान करने के लिए 3. निर्धारित फीस नकद	सहायक अधीक्षक/जिला राजस्व अधिकारी	तीन दिन	जिला राजस्व अधिकारी/उपायुक्त	सात दिन

<b>(12) शिकायत शाखा, कार्यभारी अधिकारी, नगराधीश, जीन्द- फोन नं0 01681-245692</b>						
1.	लोकमंच में प्राप्त शिकायतें	प्रार्थना-पत्र	जिलाधीश एवं उपायुक्त	शिकायतें प्राप्त होते ही शिकायत को सम्बन्धित विभाग को मौके पर ही दे दिया जाता है। सम्बन्धित विभाग से शिकायत बारे टिप्पणी प्राप्त होने पर शिकायत का निपटारा कर दिया जाता है।	15 दिन में सूरत में शिकायत का निपटारा ना होने की सूरत शिकायतकर्ता उपायुक्त या नगराधीश से सम्पर्क कर सकता है	15 दिन
2	जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक	प्रार्थना-पत्र	सरकार द्वारा मनोनित अध्यक्ष माननीय मन्त्री महोदय	मासिक बैठक में तुरन्त मौके पर ही शिकायत का निपटारा किया जाता है, यदि मौका पर किसी कारणवश शिकायत का निपटान न हो पाये तो शिकायत को अगली मासिक बैठक तक लम्बित रख दिया जाता है।	शिकायत का निपटान ना होने की सूरत में माननीय मन्त्री महोदय, उपायुक्त या नगराधीश से सम्पर्क किया जा सकता है।	एक मास
3	फुटकर शिकायतें	कार्यालय में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शिकायतें दो दिन के अन्दर-2 सम्बन्धित विभाग को टिप्पणी या कार्यवाही हेतु भेज दी जाती हैं। प्रार्थना-पत्र	उपायुक्त/नगराधीश	सम्बन्धित विभाग से टिप्पणी प्राप्त होने पर 3 दिन के अन्दर-2 इस कार्यालय द्वारा शिकायत का निपटान किया जाता	निर्धारित समय अवधि में शिकायत का निपटान न होने की सूरत में उपायुक्त महोदय या नगराधीश से सम्पर्क किया जा	सम्बन्धित विभाग से टिप्पणी प्राप्त होते ही 3 दिन के अन्दर-2 शिकायत का निपटान कर दिया जाता है।

			हैं।	सकता है।	
--	--	--	------	----------	--

<b>(13) वी0आर0के0 शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द- फोन नं0 01681-245206</b>						
1.	वी0आर0 के (जनरल रिकार्ड रुम)	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	सहायक अधीक्षक / जिला राजस्व अधिकारी	तत्काल	जिला राजस्व अधिकारी / उपायुक्त	तत्काल
2	राजस्व मुकदमों की निर्जित फाईले व नक्शा आबादी आदि का निरीक्षण करना	10/-रु की कोर्ट फीस स्टाम्प के द्वारा	-सम-	-सम-	-सम-	-सम-

<b>(14) सदर कानूनगों शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द- फोन नं0 01681-245206</b>						
1.	रिकार्ड रुम राजस्व में रिकार्ड का निरीक्षण	कोर्ट फीस लगी दरखास्त मुआयना	जिला राजस्व अधिकारी / सहायक अधीक्षक	दरखास्त प्राप्त होने से 7 रोज तक	1. उपायुक्त जीन्द 2. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द 3. नगराधीश, जीन्द 4. अधीक्षक महोदय	सुविधानुसार

<b>(15) बाढ शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द- फोन नं0 01681-245206</b>						
1.	बाढ व सुखा राहत के सम्बन्ध में आम जन शिकायतों का	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	जिला राजस्व अधिकारी	तीन दिन	उपायुक्त महोदय	एक मास

	निपटान					
2.	प्राकृतिक आपदा ग्रस्त व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति दावों की निपटान	1. साधारण कागज पर आवेदन पत्र 2. रिहायश व नुकसान का प्रमाण	जिला राजस्व अधिकारी	तीन दिन	उपायुक्त महोदय	1. निर्णय 1 मास में 2. आदायगी बजट उपलब्ध होने पर
<b>(16) जिला राजस्व लेखाकार शाखा, कार्यभारी अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द- फोन नं0 01681-245206</b>						
1.	नजूल भूमि (एसचिटिड) की अलाटमैन्ट/ निपटान करवाने बारे	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	जिला राजस्व अधिकारी	सात दिन	उपायुक्त महोदय	सोसायटी बनने व उप मण्डल अधकारी(ना0) से रिपोर्ट प्राप्त होने के एक मास में
2.	उपायुक्त तहसीलों/ उप तहसीलों में नियुक्त लेखा कर्मचारियों के विरुद्ध आम जन की शिकायत	साधारण कागज पर आवेदन पत्र	जिला राजस्व अधिकारी	तीन दिन	उपायुक्त महोदय	एक मास